राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –913/2011/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–प्रथम,वृत्त–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स फेयरडील डीजल्स, प्रा.लि., अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल,
अधिकृत प्रतिनिधि। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.02.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, वृत्त–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी (अपील्स), अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो प्रकरण संख्या 84/आर.वैट/2009–10/उपा/अपील्स/अलवरके संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता–तृतीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति रू. 28,697/– व कर 11,958/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 04.06.2009 को वाहन संख्या आर.जे. 02/जी–2748 को अलवर से जयपुर के लिये माल "परचून" को परिवहनीत करने के दौरान सशक्त अधिकारी द्वारा जांच की गयी। जांच के समय माल प्रभारी/ वाहन चालक ने माल संबंधी दस्तावेज चाहने पर, माल प्रभारी ने मैसर्स लक्ष्मी गोल्डन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बिल्टी कमांक 27571, 27572 व प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी डिलीवरी चालान वास्ते जांच प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी

लगातार.....2

कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने माल प्रभारी/वाहन चालक के बयान कलमबद्ध किये एवम् यह अवधारित किया कि माल बिना बिली के परिवहनीत किया जा रहा है तथा यह भी अवधारित किया कि डिलीवरी चालान पर प्रत्यर्थी व्यवहारी के टिन अंकित नहीं है, जिसके अभाव मे, सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन को निरूद्ध कर, वाहन चालक को नोटिस जारी किया गया । नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से व्यवसाय प्रबंधक द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, परिवहनीत माल के साथ क्रय इन्वॉयस क्रमांक 7469 दिनांक 31.03.2009, विक्रय इन्वॉयस क्रमांक 09/0828, 09/0830 दिनांक 04.06.2009 प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंधन होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से व्यवसाय प्रबंधक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे अस्वीकार कर, सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति रू. 28,697/— व कर 11,958/— आरोपित कर आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो स्वीकार की गयी। फलस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, यह अपील प्रस्तुत कर, अपीलीय अधिकारी के आदेश को चुनौती दी गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. इस संबंध में अपीलार्थी सक्षम अधिकारी की ओर विद्वान् अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनुचित एवम् अविधिक होने के कारण इसे अपास्त कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के आदेश को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान् अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा इस संबधं में अग्रिम अभिवाक् किया कि विद्वान् सशक्त अधिकारी ने प्रकरण की तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति को समझने में त्रुटि की है। कथन किया कि चालान एवम् इन्वॉसेज में समान तथ्य अंकित होते हैं, ऐसी स्थिति में सशक्त अधिकारी द्वारा केवल इन्वॉस नहीं पाये जाने के कारण पर शास्ति आरोपित की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों के तहत् माल के साथ इन्वॉसेज रखे जानी की आवश्यकता नहीं

लगातार.....3

करने के लिये स्वतंत्र है । अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई युक्तियुक्त एवम् विधिक आधार होना प्रकट नहीं है । लिहाजा, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है ।

7. परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है ।

8. निर्णय सुनाया गया।

4.2.2014

(मदन लाल)
सदस्य